18-Mil

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा

ज्ञापांक–...890.../

प्रेषित,

सुश्री रीना कुमारी(ग्रामीण विकास पदाधिकारी)
प्रखंड विकास पदाधिकारी,
पुरैनी।

मधेपुरा;दिनांक–...20.../06/2015 ई0

विषय– मुख्यालय छोड़कर ग्रामीण विकास विभाग का कार्य बाधित करने के संबंध मे।

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा अनाधिकृत रूप से बिना अपना प्रभार दिए तथा सरकारी वाहन का दुरूपयोग कर निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गंभीरता से नहीं लेते हुए आपके द्वारा विभाग में जाकर उच्चाधिकारियों से मिलना आपके अनुशासनहीनता तथा अकर्मण्यता का द्योतक है। क्यों नहीं आपके इस आचरण के विरूद्ध कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाए?

अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 24 धंटा के अंदर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सकारण उपस्थित होकर समर्पित करना सुनिश्चित करे।

20.6.15

उप विकास आयुक्त,
मधेपुरा।

ज्ञापांक–...890.../मधेपुरा;दिनांक–...20.../06/2015 ई0

प्रतिलिपि–वाहन चालक, पुरैनी प्रखंड को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि उक्त परिस्थिति में आपके द्वारा पटना वाहन ले जाना किन परिस्थिति में युक्तिसंगत है, स्पष्टीकरण के द्वारा स्पष्ट किया जाए।

प्रतिलिपि–अंचलाधिकारी, पुरैनी को सूचनार्थ एवं निदेश है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुरैनी द्वारा अपना वाहन, मोबाइल तथा प्रभार हस्तगत कराया गया था अथवा नहीं, से संबंध में अपना प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें।

20.6.15

उप विकास आयुक्त,
मधेपुरा।

ज्ञापांक–...890.../मधेपुरा;दिनांक–...20.../06/2015 ई0

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

20.6.15

उप विकास आयुक्त,
मधेपुरा।